बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 27 / 2017–

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 69.178 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उप महाप्रबंधक (तक०), BSRDCL, PIU–खगड़िया–सह–कटिहार एट खगड़िया का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (E) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

2. विषयाधीन पथ के निर्माण में कुल 69.178 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 4645 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया तथा वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	समिति के समक्ष Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	समिति के समक्ष पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	पूर्णियाँ	0.00–32.035=32.035 KM	49.841	2219	1336
2	अररिया	32.035–45.280=13.245 KM	19.337	572	518
		कुल	**69.178**	**2791**	**1854**

3. अररिया वन प्रमंडल से संबंधित वृक्ष सुरक्षा योजना दिनांक 17.11.2022 को ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्ष सुरक्षा योजना में अंकित किया गया है कि अररिया वन प्रमंडल के किशनगंज जिला अन्तर्गत SH 99 (बायसी–बहादुरगंज–दिघलबैंक) के अंश (पंचायत काठामांठा से महादेव दिघी तक) (कि०मी० 32.035 से कि०मी० 45.280), जो सुरक्षित वन घोषित है, के उन्नयन का प्रस्ताव है। इसमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 1090 (एक हजार नब्बे) है। समिति के समक्ष वृक्ष सुरक्षा योजना के रूप 90 से0मी0 से उपर गोलाई के वृक्षों का पातन एवं 0.00–90.00 से0मी0 गोलाई तक के वृक्षों का पुर्नस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके अनुसार पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 518 एवं पुर्नस्थापित होने वाले वृक्षों की संख्या 572 आती है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 60 से0मी0 तक के गोलाई के वृक्षों को ही पुर्नस्थापित किया जाना है। इस प्रस्ताव में भी 60 से0मी0 से अधिक गोलाई के वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पुर्नस्थपित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया है। विदित है कि कुछ प्रजातियों के पुर्नस्थापन की सफलता संधिग्ध होती है। साथ ही कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो बड़ी आसानी से रोपित हो जाती हैं और बच भी जाती हैं। इनके प्रतिस्थापन की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी गंभार, कनेल, बबूल, ताड, अशोक, गुलमोहर, सहजन, खजूर, अमलतास, चकुंडी, जिलेबी, बकैन, फूलगंभार प्रजाति के प्रतिस्थापन का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त प्रजातियों के सभी वृक्षों का पातन किया जायेगा। अन्य प्रजातियों के 60 से0मी0 से अधिक गोलाई के वृक्षों का पातन किया जायेगा।

5. पूर्णियाँ वन प्रमंडल से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्णियाँ वन प्रमंडल से संबंधित क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना अलग से भेजी जायेगी।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1 कम एवं 0.4 तथा दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

7. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

8. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 69.178 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 139.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को बाँका वन प्रमंडल, बाँका के कटोरिया एवं बाँका प्रक्षेत्र अन्तर्गत कटसकरा एवं माताथान फुल्लीडुमर टोला तेलियाखार हथियापात्थर PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में अपयोजित होने वाली 49.841 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,77,36,713/– एवं परियोजना में अपयोजित होने वाली 19.337 हे० वन भूमि के लिये 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,37,57,245/– कुल रू० 7,14,93,958/– (सात करोड़ चौदह लाख तिरानवें हजार नौ सौ अनठावन) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 69.178 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बाँका वन प्रमंडल, बाँका अन्तर्गत 139.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि, कटसकरा एवं माताथान फुल्लीडुमर टोला तेलियाखार हथियापात्थर सुरक्षित वन को चिन्हित करते हुए रू० 2,50,45,127/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं

पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./27/2017– 997 दिनांक– 21/11/2022

प्रतिलिपि – उप महाप्रबंधक (तक०), BSRDCL, PIU–खगड़िया–सह–कटिहार एट खगड़िया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलान्तर्गत SH-99 बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 69.178 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं अररिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	संलग्न।
12	वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
13	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

21/11/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com